केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मार्च तक पूरा करने का दिया निर्देश

1400 किमी लक्ष्य, बनी सिर्फ 150 किमी सड़क

- सचिव ने कार्य प्रगति को असंतोषजनक बताते हुए कार्य तेज करने का दिया निर्देश

विशेष संवाददाता, रांची

राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम जन-मन योजना व रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फोर लेफ्ट विंग एक्सट्रिमिज्म एरिया की कार्य प्रगति धीमी है. इस वित्तीय वर्ष में 1400 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है, जबकि पहली तिमाही में करीब 150 किमी ही सड़क बन सकी है. मात्र 91 दिनों में ये सड़कें बनी हैं. इस तरह एक दिन में औसत 1.64 किमी ही सड़क बनी है. वहीं पीएमजीएसवाइ वन, थ्री व आरसीपीएलडब्ल्यूइए की योजनाएं अभी भी पेंडिंग हैं. पीएमजीएसवाइ की सात सड़क, आरपीएलडब्ल्यूइए की 15 सड़क और 31 पुल का काम पूरा करना बाकी है. इन योजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया है. राज्य सरकार की एजेंसियों को केंद्र के लक्ष्य के मुताबिक काम पूरा करना होगा. इस आलोक मे ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव मनोज कुमार ने योजनाओं की समीक्षा की. समीक्षा के बाद उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा कराया गया कार्य कार्य संतोषजनक नहीं है. काम की रफ्तार धीमी है. सचिव ने झारखंड स्टेट रुरल रोड डेवलपमेंट ऑथोरिटी के मुख्य अभियंता सहित अन्य अभियंताओं को कार्य प्रगति तेज करने का निर्देश दिया. साथ ही दोनों योजनाओं के लंबित कार्यों को समय से पूरा कराने को कहा. सचिव ने प्रमंडलों से समन्वय स्थापित करने और योजनाओं की साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट बना कर भेजने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने निर्देश दिया कि काम की रफ्तार बढ़ायी जाये. सचिव ने सड़क निर्माण की अड़चनों को दूर करने का भी निर्देश दिया है.साथ ही तेजी से कार्य करने को कहा है. उन्होंने इंजीनियरों को लिखा कि फॉरेस्ट क्लियरेंस के मामले का हल निकालने का प्रयास करें. इसके लिए एनओसी प्राप्त करने की दिशा में काम हो.

राज्य के 12 जिलों में नहीं बनी एक भी सड़क

झारखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कई सड़क बनाने की योजना है. रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से लेकर अब तक 12 जिले ने एक किमी सड़क भी नहीं बनायी गयी है. सबसे अधिक गढ़वा में 55 किमी, रांची में 39 किमी व पश्चिमी सिंहभूम में 29 किमी सड़क बनायी गयी है. वहीं बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, सरायकेला-खरसावां में एक किमी भी सड़क का निर्माण नहीं कराया है. अन्य जिलों की उपलब्धि बहुत ही कम है.

एसआइआर शुरू, घर-घर जाने लगे 31,892 बीएलओ

प्रमुख संवाददाता, रांची

झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान की शुरुआत मंगलवार से हो गयी. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रविकुमार ने मंगलवार को बताया कि राज्य के 2.64 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन कराने के लिए 31,892 बीएलओ ने घर-घर जाकर इन्यूमरेशन फॉर्म भरवाने का काम शुरू कर दिया है. यह अभियान 29 जुलाई तक चलेगा. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि हर बूथ पर प्रत्येक मतदाता के लिए दो-दो इन्यूमरेशन फॉर्म दिये गये हैं. बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे और तय प्रक्रिया के तहत फॉर्म भरवायेंगे. यदि कोई मतदाता राज्य से बाहर है, तो उसके परिवार का कोई सदस्य संबंध का उल्लेख करते हुए उसकी ओर से फॉर्म पर हस्ताक्षर कर सकेगा.

दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं : आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाताओं को कोई दस्तावेज जमा नहीं करना होगा. बीएलओ केवल मूल दस्तावेज देखकर सत्यापन करेंगे. इन्यूमरेशन फॉर्म की एक प्रति मतदाता के पास रसीद के रूप में रहेगी, जबकि दूसरी हस्ताक्षरित प्रति बीएलओ को सौंपी जायेगी. बिना हस्ताक्षर वाला फॉर्म मान्य नहीं होगा. गलत जानकारी देने या फर्जी घोषणा करने पर कानूनी कार्रवाई होगी.

रांची, हटिया और कांके में मैपिंग की गति धीमी: निर्वाचन विभाग के अनुसार रांची, हटिया और कांके जैसे शहरी विधानसभा क्षेत्रों में सत्यापन की गति अपेक्षाकृत धीमी है. यहां करीब 45% मतदाताओं का सत्यापन अभी शेष है. वहीं तमाड़, मांडर और सिल्ली जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में 85% से अधिक मैपिंग पूरी हो चुकी है.

डीसी ने पिस्का नगड़ी में एसआइआर कार्य का निरीक्षण किया: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने राजकीय मध्य विद्यालय, पिस्का नगड़ी में चल रहे एसआइआर कार्य का निरीक्षण किया. उन्होंने बीएलओ, सुपरवाइजर और बीएलए को अभियान को लेकर दिशा-निर्देश दिये.

सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लि. राँची

नि.सं.-02/HQ/2021 दिनांक 18.11.2021

Email id : sidhokanhofed@gmail.com, Phone : 0651-2913012

Ref: - 747 Date : 29.06.2026

Corrigendum Notice

This is to inform all bidders that the bid submission deadline for the tender "Appointment of Consultancy Agency for Project Management Unit (PMU)" bearing Tender ID 2026_SIDHK_115035_1, published by SIDHKOFED, has been extended.

The original last date and time for submission of bids was 01 July 2026. However, due to administrative reasons the last date and time for submission of bids has been extended by 07 (Seven) days.

Accordingly, the revised last date and time for submission of bids shall be **08 July 2026 up to 01:00 PM.**

All other terms and conditions of the tender document shall remain unchanged.

Ref :- 751, Date : 29.06.2026

Sd/-Secretary,
SIDHKOFED

Form No. 17
[See Regulation 35(1)]

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER - I/II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, RANCHI
5th Floor, Pragati Sadan, RRDA Building, Kutchery Chowk, Ranchi-834001

RC/166/2014

NOTICE TO SHOW CAUSE WHY A WARRANT OF ARREST SHOULD NOT BE ISSUED
(UNDER RULE 73 OF THE SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH SECTION, 29 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993)

BANK OF INDIA, SONAHATU BR.
Versus
M/S MAA GODAWARI ENTERPRISES AND OTHERS

To,
(CD2) RAHUL RANJAN
SON OF SAMBHU NATH BHAGAT RO OF VILLAGE JAMUDAG PO JAMUDAG SONAHATU RANCHI -835204
(CD3) SAMBHU NATH BHAGAT
RO OF VILLAGE JAMUDAG PO JAMUDAG SONAHATU RANCHI -835204

Whereas you have failed to pay the amount of arrears specified in the **OA/56/2012** drawn up by the Presiding Officer. DEBTS RECOVERY TRIBUNAL RANCHI for recovery of **Rs. 16,40,146.00 (Rupees Sixteen Lakhs Forty Thousands One Hundred Forty Six Only)** along with interest plus cost payable by you as per certificate and it is proposed to execute the above Certificate by Arrest and Imprisonment of your persons.

You are hereby required to appear before the undersigned on **10/08/2026** and to show cause why you should not be arrested and committed to the CIVIL PRISON in execution of the said Certificate.

Given under my HAND and the SEAL of the Tribunal, on this date: **06/04/2026.**

Recovery Officer
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, RANCHI

आवारा कुत्तों से मिलेगी राहत नगर निकायों में बनेंगे शेल्टर

- राज्य सरकार ने आवारा कुत्तों के वैज्ञानिक एवं मानवीय प्रबंधन के लिए कार्ययोजना की तैयार

प्रमुख संवाददाता, रांची

झारखंड में आवारा कुत्तों के आतंक से लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है. राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में आवारा कुत्तों और अन्य बेसहारा पशुओं के वैज्ञानिक एवं मानवीय प्रबंधन के लिए कार्ययोजना तैयार की है. इसके तहत राज्य के सभी 49 नगर निकायों में पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियमों के अनुसार शेल्टर होम और केनल बनाये जायेंगे. साथ ही स्कूलों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक परिसरों को आवारा कुत्तों से सुरक्षित बनाया जायेगा. यह काम नगर विकास, पशुपालन, स्वास्थ्य, पुलिस और जिला प्रशासन समेत संबंधित विभागों के समन्वय से किया जायेगा. इसका उद्देश्य आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या पर नियंत्रण, रेबीज की रोकथाम और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

सार्वजनिक स्थानों पर लगाये जायेंगे फेंसिंग : योजना के तहत स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक परिसरों में फेंसिंग और गेट लगाये जायेंगे. प्रत्येक संस्थान में एक नोडल पदाधिकारी की भी नियुक्ति होगी, जो परिसर को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निभायेगा. राज्य के सभी नगर निकायों में आधुनिक शेल्टर होम विकसित किये जायेंगे. यहां पकड़े गये कुत्तों का बंध्याकरण, टीकाकरण और उपचार किया जायेगा. इसके बाद एबीसी नियमों के अनुरूप उनका प्रबंधन किया जायेगा. सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर विशेष हाइवे पेट्रोल टीम भी गठित की जायेगी.

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
ई-500, टॉवर-ई, 5वीं मंज़िल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029

पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) में संविदा आधार पर विधि सलाहकार की नियुक्ति

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) एक वैधानिक नियामक संस्था है, जिसकी स्थापना भारत की संसद द्वारा पारित पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 23, 2013) के अंतर्गत की गई है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन कार्यरत है तथा भारत में पेंशन क्षेत्र के संवर्धन, विकास एवं विनियमन का दायित्व निभाता है।

पीएफआरडीए, विधि सलाहकार के पद हेतु पूर्णतः संविदा आधार पर आवेदन आमंत्रित करता है। नियुक्ति प्रारंभिक रूप से दो (02) वर्ष की अवधि के लिए होगी तथा इस पद हेतु ₹3 लाख प्रति माह का समेकित पारिश्रमिक/मानदेय देय होगा।

उक्त पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, अनुभव तथा नियुक्ति की शर्तों एवं नियमों का विवरण (PFRDA) की वेबसाइट www.pfrda.org.in. पर उपलब्ध है।

निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 23.07.2026 तक है। प्राधिकरण अपने विवेकानुसार किसी भी चरण पर इस चयन प्रक्रिया में संशोधन, निरस्तीकरण अथवा समाप्ति का अधिकार रखता है।

महाप्रबंधक
(मानव संसाधन)

सरोवर नगर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, की बैठक

रांची. सरोवर नगर स्थित नरेंद्र पाठक के आवास पर मंगलवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे की उपस्थिति में मोहल्ले के प्रबुद्धजनों की बैठक आयोजित की गयी. बैठक में क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक एवं समसामयिक विषयों पर चर्चा की गयी. बैठक में शैलेश कुमार, राम अनुग्रह पांडेय और नरेश ठाकुर सहित कई लोग मौजूद थे. इस दौरान उपस्थित लोगों ने क्षेत्र के विकास, सामाजिक सहभागिता और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समाज के विकास के लिए जनसहभागिता जरूरी है.

भरत तिवारी मामले में न्यायिक जांच से ही सच सामने आयेगा : पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भरत तिवारी प्रकरण को लेकर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाये. रांची में प्रेस कांफ्रेंस कर उन्होंने कहा कि भरत तिवारी का फर्जी एनकाउंटर किया गया है और पुलिस प्रशासन ने क्रूरता का परिचय दिया है. उन्होंने कहा कि भरत तिवारी करीब 70 गरीब और पिछड़े लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे थे. उन्होंने दावा किया कि मामले की न्यायिक जांच से ही मामला सामने आयेगा.

कार्यालय, अध्यक्ष, काउंसलिंग समिति
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
टैगोर छात्रावास क्रमांक-T2, प्रथम तल, श्यामला हिल्स, दूरदर्शन रोड, भोपाल-462002

ऑनलाइन काउंसलिंग सत्र 2026-27 (C-18)
संशोधित समय सारणी

मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (Master of Technology) पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा (GATE)/अर्हकारी परीक्षा एवं मास्टर ऑफ प्लानिंग (Master of Planning) पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा (GATE/NET)/अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रथम वर्ष में प्रवेश
(शासकीय, शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त-सम विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय), स्वशासी एवं स्ववित्तीय-विश्वविद्यालयीन एवं निजी क्षेत्र की संस्थान)

प्रथम चरण
प्रवेश परीक्षा के वैध स्कोर (Valid Score Entrance Exam) के आधार पर)

गतिविधियां	दिनांक/समय
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन निरस्त	17.06.2026 से 02.07.2026 रात्रि 11:45 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) (सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के पश्चात केवल एक बार उपलब्ध रहेगी)	03.07.2026 से 04.07.2026 सायं 5:30 बजे तक
संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना (प्राथमिकताक्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी)	18.06.2026 से 06.07.2026 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता।	07.07.2026
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति (आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश)	09.07.2026 से 14.07.2026 सायं 6:30 बजे तक

नोट :- शेष चरणों की काउंसलिंग समय-सारणी एवं अन्य जानकारी पूर्व कार्यक्रम अनुसार यथावत् रहेगी।

• **संपर्क** :- 0755-6720205, 2660441, **ईमेल** :- dte[dot]helpcenter[at]mp[dot]gov[dot]in

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. माध्यम/126628/2026 **संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश**

सीएमपीडीआइ और एनटीपीसी के बीच हुआ एमओयू : रांची. सीएमपीडीआइ और एनटीपीसीसी (एनएमएल) के साथ समझौता हुआ. इसके तहत सीएमपीडीआइ, एनएमएल के कोयला और खनिज माइनिंग कार्यों के लिए विशेषज्ञ सलाह और तकनीकी सेवाएं प्रदान करेगा.

Form No. 17
[See Regulation 35(1)]

OFFICE OF THE RECOVERY OFFICER - I/II
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, RANCHI
5th Floor, Pragati Sadan, RRDA Building, Kutchery Chowk, Ranchi-834001

RC/95/2022

NOTICE TO SHOW CAUSE WHY A WARRANT OF ARREST SHOULD NOT BE ISSUED
(UNDER RULE 73 OF THE SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT, 1961 READ WITH SECTION, 29 OF THE RECOVERY OF DEBTS & BANKRUPTCY ACT, 1993)

BANK OF INDIA, TATISILWAI BR.
Versus
DHARMENDRA KUSHWAHA

To,
(CD1) Shri Dharmendra Kushwaha,
S/o Shiv Pujan Kushwaha, R/O Adarsh Nagar, Tatisilwai, Ranchi, Distt. — Ranchi -835103, Jharkhand.
(CD2) Shri Dinesh Kushwaha,
S/o Shiv Pujan Kushwaha, Ranchi, Distt.- Ranchi - 835103, Jharkhand.
(CD3) Shri Jitendra Mourya,
S/o Shiv Pujan Mourya, R/o Adarsh Nagar, Tatisilwa, Ranchi Distt. — Ranchi -835103

Whereas you have failed to pay the amount of arrears specified in the **OA/318/2019** drawn up by the Presiding Officer. DEBTS RECOVERY TRIBUNAL RANCHI for recovery of **Rs. 26,11,150/- (Rupees Twenty Six Lakhs Eleven Thousands One Hundred Fifty Only)** along with interest plus cost payable by you as per certificate and it is proposed to execute the above Certificate by Arrest and Imprisonment of your persons.

You are hereby required to appear before the undersigned on **20/08/2026** and to show cause why you should not be arrested and committed to the CIVIL PRISON in execution of the said Certificate.

Given under my HAND and the SEAL of the Tribunal, on this date: **17/04/2026.**

Recovery Officer
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, RANCHI

प्रभात खबर
prabhatkhabar.com

प्रभात खबर डिजिटल के साथ करियर बनाने का सुनहरा अवसर

प्रभात खबर डिजिटल को तलाश है **झारखंड** में ऐसे ऊर्जावान पत्रकारों की, जो खबरों की गहराई को समझते हों और कैमरे के सामने अपनी बात बेबाकी से रख सकें.

कंटेंट क्रिएटर, सीनियर कंटेंट क्रिएटर
लोकेशन : रांची, धनबाद, जमशेदपुर व देवघर
अनुभव : 2 वर्ष

वीडियोग्राफ़र, वीडियो एडिटर
योग्यता : • कैमरा संभालने का 1 साल का अनुभव.
• वीडियो एडिटिंग का 1 साल का अनुभव.

मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर / रिपोर्टर
योग्यता : क्षेत्र में काम करने का 2 साल का अनुभव

लोकेशन : रांची, हजारीबाग, मेदिनीनगर, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर व जमशेदपुर.

इच्छुक उम्मीदवार अपने बायोडाटा के साथ **प्रभात खबर कार्यालय** में संपर्क करें.

WALK-IN-INTERVIEW

PLACE	DATE	ADDRESS
RANCHI	01.07.26	15 P, Kokar Industrial Area, Kokar - 01
JAMSHEDPUR	02.07.26	22, 2nd Floor, Jagdish Modi Tower, New Baradwari, Sakchi
DHANBAD	03.07.26	Kolakusma, Post- K.G. Ashram, Govindpur Road
DEOGHAR	04.07.26	Jasidih Industrial Area, Phase-2, Gangati Manikpur, Jasidih

सीएम के निर्देश पर श्रमिकों की हुई वापसी

तमिलनाडु गैस हादसा

रांची. तमिलनाडु गैस रिसाव के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष द्वारा झारखंड के सभी 42 श्रमिकों की सुरक्षित वापसी कर ली गयी है. सभी श्रमिक ट्रेन से झारखंड के लिए रवाना हो चुके हैं. गौरतलब है कि तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में स्थित सेंट पीटर्स एंड पॉल सीफूड्स एक्सपोर्ट्स फैसिलिटी में 21 जून 2026 को हुई अमोनिया गैस रिसाव की औद्योगिक दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश जारी किये थे. सभी 42 प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित ट्रेन से रवानगी : इस हादसे में श्रमिकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया. झारखंड सरकार के अनुरोध पर रेलवे प्रशासन द्वारा अलप्पुझा-धनबाद एक्सप्रेस में श्रमिकों के लिए एक विशेष स्लीपर कोच स्वीकृत किया गया.

पीवीयुएन PVUN — पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
(जेबीवीएनएल के साथ संयुक्त उद्यम में एनटीपीसी लि. की एक सहायक कम्पनी)

पताः पतरातु विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, एडमीन बिल्डिंग पतरातु रामगढ़ झारखण्ड 829119

पीवीयुएनएल, पतरातु शॉपिंग सेंटर में दुकान आवंटन हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति (EOI)

पीवीयुएनएल, पतरातु, पीवीयुएनएल, टाउनशिप स्थित शॉपिंग सेंटर में दुकान के आवंटन हेतु **Expression of Interest (EOI)** आमंत्रित करती है। विस्तृत जानकारी व नियमों इत्यादि की जानकारी पीवीयुएनएल वेबसाइट https://pvunl.co.in/shopallotment में उपलब्ध है।

दुकान संख्या	दुकान का विवरण
01	Medical (Pharmacy) Shop (Shop No: 04)

इच्छुक आवेदक वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र और सभी सहायक दस्तावेज **"Tender Box, First Floor, Admin Building, PVUNL, Patratu, Ramgarh, Jharkhand – 829119"** में दिनांक **10 जुलाई 2026** तक पहुंच जाना चाहिए।

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें ई-मेल naveensahu@ntpc.co.in (Ph no) 9650993092

BEFORE THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, RANCHI
5th Floor, Pragati Sadan (RRDA Building), Kutchery Chowk, Ranchi-834001

O.A. No. 598 of 2025

BETWEEN
CANARA BANK, SARM BR., RANCHI ...Applicant Bank
Vs
M/S SKY ENTERPRISES & ORS ... Defendants

SUMMONS ISSUED UNDER RULE 23 (VIII) OF THE DEBTS RECOVERY TRIBUNAL (PROCEDURE) RULES, 1993

S.N.	DEFENDANTS	ADDRESS
01	**M/S SKY ENTERPRISES** PROP: AKHTAR KHAN	OPPOSITE FOOTBALL GROUND, RAMGARH CANTT, P.O. & P.S. RAMGARH CANTT, DIST.- RAMGARH 829122
02	**AKHTAR KHAN** S/O NOOR MOHAMMAD KHAN	AT- MOHALLA NAISARAI, RAMGARH, P.O. & P.S.- RAMGARH, DIST.- RAMGARH 829122
03	**MRS. SHAHNAZ BEGUM @ KHAN** W/O MD. AKHTAR KHAN	
04	**MD. FIROJ KHAN** S/O MD. AKHTAR KHAN	

Whereas, the Applicant has instituted an Application u/s 19 of the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act 1993 against the Defendants for Recovery of sum of **Rs. 42,44,918/- (Rupees Forty Two Lakh Forty Four Thousand Nine Hundred Eighteen Only) together with current and future interest, cost for other reliefs**. The above mentioned Defendants is/are therefore directed to appear before **Registrar** in on **06th day of July, 2026 at 10.30 A.M.** as to why the reliefs prayed for should not be granted and to file show – cause in the matter. The notice that in case of default, the application will be heard and determined in your absence.

Given under my hand and seal of this Tribunal on this the **19th day of May, 2026.**

REGISTRAR

पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक — **Punjab National Bank** ...the name you can BANK upon !

CO- SAM विभाग 5वीं मंज़िल, नाइल कॉम्प्लेक्स, एच.बी. रोड, कांटाटोली, रांची - 834001 फ़ोन: 9431427385, ईमेल: coransamd@pnb.bank.in

अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एंव 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद् द्वारा सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं एंव जमानतदारों को सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियों को सुरक्षित लेनदार को बंधक/ प्रभारित किया गया है, जिसका रचनात्मक/ भौतिक/ सांकेतिक जो भी लागू हो जिसका कब्जा बैंक के अधिकृत अधिकारी/ प्रतिभूति लेनदार द्वारा लिया गया है। सम्बंधित उधारकर्ताओं एंव जमानतदारों से बैंक/ सुरक्षित लेनदार होने के कारण अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दिये गये तालिका में उल्लेखित तिथि पर **"जहाँ है", "जैसा भी है" और "जो कुछ भी है"** पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रधन जमा राशि सम्बंधित सम्पत्तियों के सामने नीचे दिये गये तालिका में उल्लिखित है।

लॉट सं.	शाखा का नाम / खाता का नाम / उधारकर्त्ता/जमानतदारों के खाता का नाम एवं पता	बंधक/ स्वामी के नाम के अचल सम्पत्तियों का विवरण (बंधककर्त्ता की सम्पत्ति (यों)	A) 13(2) SARFAESI एक्ट के तहत डिमांड नोटिस की तिथि B) डिमांड नोटिस की तिथि तक बकाया राशि C) कब्जा की तिथि 13(4) SARFAESI एक्ट 2002 के अनुसार D) कब्जा का प्रकार सांकेतिक/ भौतिक/ रचनात्मक	A) आरक्षित मुल्य (रू0 लाख में) B) इएमडी C) बोली वृद्धि राशि D) Baanknet प्रॉपर्टी आईडी	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
01	शाखा कार्यालय : **महावीर चौक** (1091) / **धर्मेंद्र कुमार** / **धर्मेंद्र कुमार,** पिता राम प्रवेश प्रसाद गुप्ता निवासी : फ्लैट सं. 601, स्वर्णरिखा अपार्टमेंट, विष्णुपुरी मार्ग, बर्दवान कंपाउंड, रांची, झारखंड 834001	एक वाणिज्यिक दुकान इकाई सं. **101** के सभी भाग है। उक्त बहुमंजिला वाणिज्यिक भवन परिसर अर्थात् **"समृद्धि स्क्वायर"** के प्रथम तल में लगभग 346 वर्गफीट में सामान्य और सभी सुविधाएं, भवन के अनुलग्नक में सामान्य उपयोग, संयुक्त अविभाजित, निष्पक्ष हिस्सेदारी के साथ खुली भूमि अर्थात अनुसूची 14409 वर्गफुट में से 152 वर्गफुट भूमि, एम.एस. प्लॉट सं. 1225 का हिस्सा है, सब प्लॉट सं. 1225/भाग के रूप में चिह्नित किया गया है, जो नए वार्ड सं. 30 में नगरपालिका होल्डिंग सं. 552, 552/A, 553 में शामिल है, रांची नगर निगम, रांची मौजा रांची, किशोरगंज चौक, हरमू रोड, थाना सुखदेवनगर, थाना सं. 205, रांची, झारखंड में बिक्री विलेख सं. 2555/2178 दिनांक 28.04.2017 के तहत स्थित है।	A) 12.09.2022 B) Rs. 13,47,604 + Further Interest C) 24.11.2022 D) सांकेतिक कब्जा	A) Rs 47,60,800.00 B) Rs 4,76,080.00 C) Rs 1,00,000.00 D) PUNB4WX1036 5986	17.07.2026 11:00 AM to 04:00 PM
02	शाखा कार्यालय : **कटहल मोड़** (194320) / **श्री गौरी कुमार शर्मा,** / **श्री गौरी कुमार शर्मा,** पिता- रौदी शर्मा **शिव कुमार शर्मा,** पिता- रौदी शर्मा, पोखर टोली, ग्राम- नगड़ी, थाना- रातू, जिला- रॉंची, पिन- 835303 **शंकर कुमार शर्मा,** पिता- रौदी शर्मा, पोखर टोली, ग्राम- नगड़ी, थाना- रातू, जिला- रॉंची, पिन- 835303	आवासीय भूमि, क्षेत्रफल 10.00 डिसमिल, जो विक्रय विलेख सं. 4020/4534 दिनांक 28.04.2004 के माध्यम से प्राप्त है, मौजा- नगड़ी, थाना- रातू (वर्तमान नगड़ी), थाना सं.- 122, जिला- रॉंची, खाता सं.- 417, प्लॉट सं.- 557 में स्थित है। उक्त संपत्ति श्री गौरी कुमार शर्मा, श्री शिव कुमार शर्मा एवं श्री शंकर कुमार शर्मा के नाम से दर्ज है। **सीमाएँ निम्नलिखित हैं** – उत्तर : जया नायक, दक्षिण : अनंत साहू, पूर्व : बाबू ठाकुर, पश्चिम : सलिल कुमार सिंह	A) 11.06.2019 B) Rs. 12,38,051.61 + further interest C) 16.03.2020 D) सांकेतिक कब्जा	A) Rs 35,97,000.00 B) Rs. 3,59,700.00 C) Rs 1,00,000.00 D) PUNBABA4033 7651	17.07.2026 11:00 AM to 04:00 PM
03	शाखा कार्यालय : **साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैंपस** (184220) / **मेसर्स महतो होटल प्रोप० : राम चरण महतो बिरसा बाजार, बिरसा चौक, डोरंडा, राँची - 834002** / **श्री राम चरण महतो, पिता – अर्जुन महतो,** बिरसा बाजार, बिरसा चौक, डोरण्डा, राँची - 834002 **श्रीमती मीना देवी, पति – राम चरण माहतो,** बिरसा बाजार, बिरसा चौक, डोरण्डा, राँची - 834002	मौजा हिनू, थाना – डोरण्डा, वार्ड संख्या 45, थाना संख्या 225, खाता संख्या 177, आर.एस. प्लॉट संख्या 694, सब प्लॉट संख्या 694/भाग पर स्थित भूमि एवं भवन के सभी भाग, जिसका क्षेत्रफल 5.00 डिसमिल है, विक्रय विलेख संख्या 1304/1369 दिनांक 27.10.2016 के माध्यम से श्रीमती मीना देवी, पति – राम चरण माहतो, के नाम दर्ज है। **संपत्ति की सीमाएँ निम्नवत हैं :** उत्तर : प्लॉट संख्या 694/भाग, दक्षिण : प्लॉट संख्या 694/भाग, पूर्व : 12 फीट सड़क, पश्चिम : प्लॉट संख्या 694/भाग	A) 04.04.2025 B) Rs. 15,34,013.27 + further interest C) 28.08.2025 D) सांकेतिक कब्जा	A) Rs 49,95,000.00 B) Rs. 4,99,500.00 C) Rs 1,00,000.00 D) PUNBPKC3892 0435	17.07.2026 11:00 AM to 04:00 PM

प्रतिभूति लेनदार को ज्ञात भार का विवरण - बैंक को ज्ञात नहीं

नियम एवं शर्तें

बिक्री सुरक्षा (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा और निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा।

01. सम्पत्तियों को **"जहाँ है", "जैसा भी है" और "जो कुछ भी है"** के आधार पर बेचा जा रहा है।
02. अनुसूचि में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसम्पत्तियों के विवरण को प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जबावदेह नही होगा।
03. बिक्री वेबसाइट **https://baanknet.com** पर ई-नीलमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक **17.07.2026 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक की जाएगी।**
04. उपरोक्त उल्लिखित बयाना राशि (EMD) को PSB Alliance Private Limited के E-Wallet में (**http://baanknet.com**) पोर्टल के माध्यम से सीधे जमा किया जाएगा अथवा उसी पोर्टल पर चालान (Challan) उत्पन्न कर, उसमें दिए गए खाते के विवरण के अनुसार RTGS/NEFT के माध्यम से EMD जमा किया जाएगा। यह राशि **दिनांक 16.07.2026 को 16:00 बजे से पूर्व** अनिवार्य रूप से जमा की जानी चाहिए।
05. बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए, कृपया **https://baanknet.com** और **www.pnb.bank.in** पर देखें।

SARFAESI अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना

तिथि : 25.06.2026
स्थान : राँची

नोट : विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नेशनल बैंक, प्रतिभूति दाता